नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सत्र 2023-24 से पाठ्यपुस्तकों को पुनर्संयोजित किया गया है। यह संजीव पास बुक्स पूर्णतः नवीन पुनर्संयोजित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित है।

पास बुक्स में नं. 1

संजीव®

पास बुक्स

राजनीति विज्ञान-XI

भारत का संविधान : सिद्धान्त और व्यवहार

एवं

राजनीतिक सिद्धान्त

(कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार)

- पाठ्यपुस्तक के सभी अभ्यास प्रश्नों का हल
- सभी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश
- योग्य एवं अनुभवी लेखकों द्वारा लिखित
- प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए पूर्ण सामग्री

संजीव प्रकाशन,
जयपुर

मूल्य : ₹ 320/-

- प्रकाशक :

  संजीव प्रकाशन

  धामाणी मार्केट, चौड़ा रास्ता,

  जयपुर-3

  email : sanjeevprakashanjaipur@gmail.com
  website : www.sanjivprakashan.com

- © प्रकाशकाधीन

- लेजर कम्पोजिंग :

  संजीव प्रकाशन (D.T.P. Department), जयपुर

- मुद्रक :

  आधुनिक बुक बाईन्डर, जयपुर

  ****

- इस पुस्तक में त्रुटियों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। किसी भी त्रुटि के पाये जाने पर अथवा किसी भी तरह के सुझाव के लिए आप हमें निम्न पते पर email या पत्र भेजकर सूचित कर सकते हैं–

  email : sanjeevprakashanjaipur@gmail.com
  पता : प्रकाशन विभाग संजीव प्रकाशन
  धामाणी मार्केट, चौड़ा रास्ता, जयपुर

  आपके द्वारा भेजे गये सुझावों से अगला संस्करण और बेहतर हो सकेगा।
- इस पुस्तक में प्रकाशित किसी त्रुटि के प्रति तथा इससे होने वाली किसी भी क्षति के लिए लेखक, प्रकाशक, संपादक तथा मुद्रक किसी भी रूप में जिम्मेदार नहीं हैं।
- सभी प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र 'जयपुर' होगा।

विषय-सूची

भाग-1—भारत का संविधान : सिद्धान्त और व्यवहार

1. संविधान—क्यों और कैसे? 1-19
2. भारतीय संविधान में अधिकार 20-39
3. चुनाव और प्रतिनिधित्व 40-57
4. कार्यपालिका 58-80
5. विधायिका 81-101
6. न्यायपालिका 102-125
7. संघवाद 126-149
8. स्थानीय शासन 150-170
9. संविधान-एक जीवन्त दस्तावेज 171-191
10. संविधान का राजनीतिक दर्शन 192-208

भाग-2—राजनीतिक सिद्धान्त

1. राजनीतिक सिद्धान्त-एक परिचय 209-219
2. स्वतंत्रता 220-235
3. समानता 236-257
4. सामाजिक न्याय 258-271
5. अधिकार 272-286
6. नागरिकता 287-304
7. राष्ट्रवाद 305-321
8. धर्म निरपेक्षता 322-340

ये हम नहीं कहते,

जमाना कहता है

संजीव पास बुक्स है नं. 1

दैनिक नवज्योति
जयपुर, 6 जुलाई, 2022

राजस्थान का
प्रमुख दैनिक

विद्यार्थियों में सर्वाधिक लोकप्रिय संजीव पास बुक्स

जयपुर। लम्बे समय से संजीव पास बुक्स अपनी उच्च गुणवत्तायुक्त पाठ्यसामग्री, नवीनतम घटनाक्रम, प्रमाणित आँकड़ों तथा सरल भाषा के कारण विद्यार्थियों में सर्वाधिक लोकप्रिय बनी हुई है। लाखों विद्यार्थी संजीव पास बुक्स से अध्ययन कर सफलता अर्जित कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 3 से 9 के लिए संजीव आल इन वन, कक्षा 9 से 12 के लिए अलग-अलग विषय पर संजीव पास बुक्स, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 5 से 8 के लिए संजीव रिफ्रेशर आल इन वन, कक्षा 9 से 12 के लिए अलग-अलग विषय पर संजीव रिफ्रेशर प्रकाशित की जाती हैं। इनके अलावा अंग्रेजी विषय को आसानी से समझने के लिए कक्षा 6 से 12 के लिए संजीव इंग्लिश कोर्स तथा विज्ञान के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कक्षा 11 एवं 12 के लिए उच्चस्तरीय संजीव साइन्स की पाठ्यपुस्तकें भी प्रकाशित की जाती हैं। कॉलेज स्तर पर भी राजस्थान के सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों यथा—राजस्थान, भरतपुर, अलवर, सीकर, अजमेर, बीकानेर, कोटा एवं जोधपुर विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमानुसार प्रथम वर्ष से एम.ए. तक के लिए संजीव पास बुक्स प्रकाशित की जाती हैं। संजीव पास बुक्स की लोकप्रियता के बारे में विद्यार्थियों से बात करने पर उन्होंने बताया कि इसमें उन्हें सरल भाषा में पूरा पाठ्यक्रम, पर्याप्त संख्या में प्रश्न-उत्तर, प्रमाणित आँकड़े, नवीनतम जानकारी उचित मूल्य पर उपलब्ध हो जाती है। इसीलिये सभी विद्यार्थी सहायक पुस्तकों के रूप में संजीव पास बुक्स को ही खरीदना पसन्द करते हैं। संजीव प्रकाशन के निदेशक प्रदीप मित्तल एवं मनोज मित्तल के अनुसार संजीव पास बुक्स सहित अन्य सभी पुस्तकें पूर्णत: नवीनतम पाठ्यपुस्तकों एवं नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार तैयार कराई जाती हैं। प्रत्येक विषय की पुस्तक को योग्य तथा अनुभवी विशेषज्ञ प्राध्यापकों से लिखवाया जाता है। इन्हें समय-समय पर पूर्णत: संशोधित तथा अपडेट भी कराया जाता है। इससे सहायक पुस्तकों के रूप में विद्यार्थियों के लिए ये बहुत उपयोगी हो जाती हैं। इन्हीं कारणों से संजीव प्रकाशन द्वारा प्रकाशित संजीव पास बुक्स, संजीव इंग्लिश कोर्स, संजीव साइंस पाठ्यपुस्तकें, संजीव रिफ्रेशर आदि पुस्तकें कक्षा 3 से एम.ए. तक के विद्यार्थियों में अत्यन्त लोकप्रिय हैं।

संजीव पास बुक्स कक्षा 3 से एम. ए. के लिए

प्रकाशक—संजीव प्रकाशन, जयपुर-3

राजनीति विज्ञान–XI भाग 1

भारत का संविधान : सिद्धान्त और व्यवहार

1. संविधान–क्यों और कैसे ?

पाठ-सार

(अ) हमें संविधान की क्या आवश्यकता है?

(1) संविधान तालमेल बिठाता है–प्रत्येक समाज (बड़े समूह) की अपनी कुछ विशेषताएँ होती हैं, उसके सदस्यों में अनेक भिन्नताएँ जैसे—धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषायी भिन्नताएँ होती हैं। लेकिन अपनी भिन्नताओं के बावजूद इसके सदस्यों को एक साथ रहना है तथा वे अनेक रूपों में परस्पर आश्रित। ऐसे समूह को शांतिपूर्वक साथ रहने के लिए कुछ बुनियादी नियमों के बारे में सहमत होना आवश्यक है। अत: किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है जिसे समूह के सभी सदस्य जानते हों, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। जब इन नियमों को न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है तो सभी लोग इन नियमों का पालन करते हैं। इस आवश्यकता की पूर्ति संविधान करता है। संविधान के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

(i) संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराये जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे।

(ii) निर्णय-निर्माण शक्ति की विशिष्टताएँ–संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धान्तों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। वह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है तथा यह तय करता है कि कानून कौन बनायेगा। वह सत्ता जिसे कानूनों को बनाने का अधिकार है, उसे इस अधिकार को देने का काम संविधान करता है। अत: संविधान सरकार निर्मात्री सत्ता है।

दूसरे शब्दों में, **संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी? संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी।**

(iii) सरकार की शक्तियों पर सीमाएँ–संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किये जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएँ लगाए। ये सीमाएँ इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका यह है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाये और कोई भी सरकार कभी भी उनका उल्लंघन न कर सके। व्यवहार में, इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है और संविधान उन परिस्थितियों का भी उल्लेख करता है जिनमें इन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है या सीमित किया जा सकता है।

(iv) समाज की आकांक्षाएँ और लक्ष्य–संविधान का चौथा कार्य यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान सरकार को वह सामर्थ्य प्रदान करता है जिससे वह कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके और जिन्हें कानून की मदद से लागू भी किया जा सके। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार से लोगों की कुछ आकांक्षाएँ पूरी करने की अपेक्षा करते हैं।

(v) राष्ट्र की बुनियादी पहचान–संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। **प्रथमत:,** इसके माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। इसके तहत कोई समाज कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धान्तों पर सहमत होकर अपनी मूलभूत **राजनीतिक पहचान** बनाता है। **दूसरे,** संवैधानिक नियम समाज को एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अन्तर्गत उसके सदस्य अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं,

लक्ष्य और स्वतन्त्रताओं का प्रयोग करते हैं। अत: संविधान हमें **नैतिक पहचान** देता है। **तीसरा,** अनेक बुनियादी राजनैतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किये गये हैं। अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं; लोकतांत्रिक सरकारों का निर्माण करते हैं। **चौथा,** विभिन्न राष्ट्रों में देश की केन्द्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच के संबंधों को लेकर भिन्न-भिन्न अवधारणाएँ होती हैं। यह सम्बन्ध उस देश की **राष्ट्रीय पहचान** बनाता है।

(ब) संविधान की सत्ता–संविधान की सत्ता के सम्बन्ध निम्नलिखित प्रश्न उभरते हैं—**(1) संविधान क्या है?** संविधान एक लिखित या अलिखित दस्तावेज या दस्तावेजों का पुंज है जिसमें राज्य सम्बन्धी प्रावधान यह बताते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा और वह किन सिद्धान्तों का पालन करेगा।

(2) संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका–कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया, किसने संविधान बनाया और उनके पास इसे बनाने की कितनी शक्ति थी?

यदि संविधान सैनिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं द्वारा बनाये जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती, तो वे संविधान निष्प्रभावी होते हैं।

यदि संविधान सफल राष्ट्रीय आन्दोलन के बाद लोकप्रिय नेताओं द्वारा निर्मित किया जाता है तो उसमें समाज के सभी वर्गों को एक साथ ले चलने की क्षमता होती है, ऐसा संविधान प्रभावशाली होता है।

विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के हैं जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आन्दोलन के बाद बनाया गया। अत: संविधान बनाने वालों का प्रभाव भी एक हद तक संविधान की सफलता की संभावना सुनिश्चित करता है।

(3) संविधान के मौलिक प्रावधान–एक सफल संविधान की यह विशेषता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है। कोई भी संविधान खुद न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता बल्कि उसे लोगों को यह विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए ढाँचा उपलब्ध कराता है।

कोई संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है, उसकी सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है।

(स) संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा–संविधान की रूपरेखा बनाने की एक कारगर विधि यह सुनिश्चित करना है कि किसी एक संस्था की सारी शक्तियों पर एकाधिकार न हो। ऐसा करने के लिए शक्ति को कई संस्थाओं में बांट दिया जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान शक्ति को एक समान धरातल पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय जैसे—निर्वाचन आयोग आदि, में बांट देता है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि यदि कोई एक संस्था संविधान को नष्ट करना चाहे तो अन्य दूसरी संस्थाएँ उसके अतिक्रमण को नियंत्रित कर लेंगी। अवरोध और संतुलन के कुशल प्रयोग ने भारतीय संविधान की सफलता सुनिश्चित की है।

संस्थाओं की रूपरेखा बनाने में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उसमें बाध्यकारी मूल्य, नियम और प्रक्रियाओं के साथ अपनी कार्यप्रणाली में लचीलापन का संतुलन होना चाहिए जिससे वह बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढाल सके। सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में एक संतुलन रखते हैं।

(द) भारतीय संविधान कैसे बना? –औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने संविधान को बनाया जिसे अविभाजित भारत ने 'कैबिनेट मिशन' की योजना के अनुसार भारत में निर्वाचित किया गया था। इसकी पहली बैठक 9 दिसम्बर, 1946 को हुई और फिर 14 अगस्त, 1947 को विभाजित भारत की संविधान सभा के रूप में इसकी पुन: बैठक हुई। विभाजन के बाद संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। इनमें से 26 नवम्बर, 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। इन्होंने ही संविधान को अंतिम रूप से पारित व इस पर हस्ताक्षर किये।

(i) संविधान सभा का स्वरूप–भारत की संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से हुआ जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रान्तों से और 93 सीटें देशी रियासतों से आवंटित होनी थीं। प्रत्येक प्रान्त की सीटों को तीन प्रमुख समुदायों—मुसलमान, सिक्ख और सामान्य की सीटों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में बाँट दिया गया। इस प्रकार हमारी

संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गये थे, पर उसे अधिकाधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने के प्रयास किये गये। सभी धर्म के सदस्यों को तथा अनुसूचित वर्ग के सदस्यों को उसमें स्थान दिया गया। संविधान सभा में यद्यपि 82% सीटें कांग्रेस दल से सम्बद्ध थीं, लेकिन कांग्रेस दल स्वयं भी विविधताओं से भरा था।

(ii) संविधान सभा के कामकाज की शैली—संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार-विमर्श किया। सदस्यों में हुए मतभेद वैध सैद्धान्तिक आधारों पर होते थे। संविधान सभा में लगभग उन सभी विषयों पर गहन चर्चा हुई जो आधुनिक राज्य की बुनियाद हैं। संविधान सभा में केवल एक प्रावधान सार्वभौमिक मताधिकार के अधिकार का प्रावधान-बिना किसी वाद-विवाद के ही पारित हुआ था।

(iii) संविधान सभा की कार्यविधि—संविधान सभा की सामान्य कार्यविधि में भी सार्वजनिक विवेक का महत्व स्पष्ट दिखाई देता था। विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की आठ मुख्य कमेटियाँ थीं। प्राय: पं. नेहरू, राजेन्द्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और डॉ. अंबेडकर इन कमेटियों की अध्यक्षता करते थे जिनके विचार हर बात पर एक-दूसरे के समान नहीं थे, फिर भी सबने एक साथ मिलकर काम किया।

प्रत्येक कमेटी ने संविधान के कुछ-कुछ प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया जिन पर बाद में पूरी संविधान सभा में चर्चा की गई। प्राय: प्रयास यह किया गया कि निर्णय आम राय से हो, लेकिन कुछ प्रावधानों पर निर्णय मत विभाजन करके भी लिए गये।

(iv) राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत—संविधान सभा केवल उन सिद्धान्तों को मूर्त रूप और आकार दे रही थी जो उसने राष्ट्रीय आन्दोलन से विरासत में प्राप्त किये थे। इस सिद्धान्तों का सारांश नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत '**उद्देश्य प्रस्ताव**' में मिलता है। इसी प्रस्ताव के आधार पर संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र और संप्रभुता को संस्थागत स्वरूप दिया गया था।

(v) संस्थागत व्यवस्थाएँ—संविधान को प्रभावी बनाने का तीसरा कारक यह है कि सरकार की सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया जाये। मूल सिद्धान्त यह रखा गया कि सरकार लोकतांत्रिक रहे, और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो। संविधान सभा ने शासन के तीनों अंगों के बीच समुचित सन्तुलन स्थापित करने के लिए बहुत विचार मंथन किया। संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया।

शासकीय संस्थाओं की संतुलित व्यवस्था स्थापित करने में हमारे संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के प्रयोगों और अनुभवों से सीखने में कोई संकोच नहीं किया। अत: उन्होंने विभिन्न देशों से अनेक प्रावधानों को लिया, संवैधानिक परम्पराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारत की समस्याओं और परिस्थितियों के अनुकूल ढालकर अपना बना लिया।

पाठगत प्रश्न/क्रियाकलाप

पृष्ठ 1

प्रश्न 1. संविधान किसे कहते हैं? या संविधान क्या है?

उत्तर—संविधान एक लिखित या अलिखित दस्तावेज या दस्तावेजों का पुंज है जिसमें राज्य सम्बन्धी प्रावधान यह बताते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा और वह किन सिद्धान्तों का पालन करेगा।

प्रश्न 2. संविधान समाज को क्या देता है?

उत्तर—संविधान समाज में तालमेल बिठाता है, सरकार का निर्माण करता है, सरकार की सीमाएँ बताता है तथा समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को बताता है। यथा—

(1) संविधान समाज में तालमेल बिठाता है—संविधान समाज में तालमेल बिठाता है। यह समाज में बुनियादी नियमों को प्रस्तुत करता है तथा उन्हें लागू कराता है ताकि समाज के सदस्यों में न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे।

(2) यह शक्ति का वितरण स्पष्ट करता है—यह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है तथा यह स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी तथा सरकार कैसे निर्मित होगी।

(3) सरकार की शक्तियों पर सीमाएँ–संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किये जाने वाले कानूनों की सीमाएँ तय करता है। इसी सन्दर्भ में वह नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है।

(4) समाज की आकांक्षाएँ और लक्ष्य–संविधान सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिससे वह समाज की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके।

प्रश्न 3. संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है?

उत्तर–संविधान समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनायेगा। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून संसद और राज्य विधानमण्डल बनायेंगे। संसद और राज्य विधानमण्डलों को कानून निर्माण का अधिकार संविधान प्रदान करता है। इसी प्रकार संविधान सरकार की अन्य संस्थाओं को भी शक्ति—जैसे कार्यपालिका को कानूनों के क्रियान्वयन और न्यायपालिका को कानूनों को लागू करने की शक्ति प्रदान करता है।

प्रश्न 4. भारत का संविधान कैसे बनाया गया?

उत्तर–भारत के संविधान का निर्माण संविधान-सभा ने 2 वर्ष 11 मास 18 दिन की अवधि में 166 दिनों तक बैठकें कर 26 नवम्बर, 1949 को पारित किया। संविधान सभा की संविधान निर्माण की प्रक्रिया इस प्रकार रही—

(1) सार्वजनिक हित–संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया।

(2) सार्वजनिक विवेकयुक्त कार्यविधि–विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की आठ मुख्य कमेटियाँ थीं। प्रत्येक कमेटी ने संविधान के कुछ-कुछ प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया जिन पर बाद में पूरी संविधान सभा में चर्चा की गयी। प्राय: प्रयास यह किया गया कि निर्णय आम राय से हो, लेकिन कुछ प्रावधानों पर निर्णय मत विभाजन करके भी लिये गये।

(3) राष्ट्रीय आन्दोलन की विरासत को मूर्त रूप देना–संविधान सभा ने उन सिद्धान्तों को मूर्त रूप आकार दिया जो उसके सदस्यों ने राष्ट्रीय आन्दोलन से विरासत में प्राप्त किये थे। इन सिद्धान्तों का सारांश नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत 'उद्देश्य प्रस्ताव' में मिलता है। इसी प्रस्ताव के आधार पर संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र और संप्रभुता को संस्थागत रूप दिया गया।

(4) संस्थागत व्यवस्थाएँ–संविधान सभा ने सरकार को जनकल्याण तथा लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध रखने हेतु शासन के तीनों अंगों—विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत विचार मंथन किया। परिणामस्वरूप संविधान सभा ने संसदीय व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया।

(5) विभिन्न देशों के संविधानों के प्रावधानों को ग्रहण करना–संविधान सभा ने शासकीय संस्थाओं की संतुलित व्यवस्था स्थापित करने के लिए विभिन्न देशों के संविधानों के प्रावधानों व संवैधानिक परम्पराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय समस्याओं व परिस्थितियों के अनुरूप ढालकर अपना बना लिया।

पृष्ठ 10–I

प्रश्न 5. नीचे भारतीय और अन्य संविधानों के कुछ प्रावधान दिये गये हैं। बताएँ कि इनमें प्रत्येक प्रावधान का क्या कार्य है?

(क) सरकार किसी भी नागरिक को किसी धर्म का पालन करने या न करने की आज्ञा नहीं दे सकती।

(ख) सरकार को आय और सम्पत्ति की असमानताएँ कम करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए।

(ग) राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति है।

(घ) संविधान वह सर्वोच्च कानून है जिसका सभी को पालन करना पड़ता है।

(ङ) भारतीय नागरिकता किसी खास नस्ल, जाति या धर्म तक सीमित नहीं है।

उत्तर–(क) सरकार की शक्ति पर सीमा (ख) समाज की आकांक्षा व लक्ष्य (ग) निर्णय लेने की शक्ति की विशिष्टता (घ) संविधान बुनियादी तालमेल बिठाता है (ङ) राष्ट्र की बुनियादी पहचान (राष्ट्रीय पहचान)।

पृष्ठ 10–II

प्रश्न 6. (ख) संविधान कितना प्रभावी है?

उत्तर–संविधान कितना प्रभावी है?–इस बात का निर्धारण इस बात के निर्धारण से किया जाता है कि कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया? किसने संविधान बनाया और उनके पास इसे बनाने की कितनी शक्ति थी?

यदि संविधान सैनिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं द्वारा बनाये जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती, तो वे संविधान कम प्रभावी या निष्प्रभावी होते हैं।